

15/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि
तहसीलदार का जवाब आ चुका है।
तथा तहसीलदार ने अपने जवाब में
नाम पुरुश्वती की अभिशंषा को है।
इसलिए प्रार्थी-पत्र स्वीकार किया जाये।
निर्णय पूर्वक से लिखा जाकर सैलमन
किया गया। निर्णय के अनुसार प्रार्थी
का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
पत्रावली फैसल नुम्बर होकर
नम्बर से काम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो।

बहायक कलेक्टर, बोंदिया

